राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

कमांक: 05 / भू0अ0 / ज0स0 / 2018 / दिनांक

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ **आहु चँवली लिंक चैनल के बांध निमार्ण कार्य** हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन औंर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औंर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औंर पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औंर पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु **अधिशाषी अभियन्ता, चँवली परियोंजना नहर खण्ड झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।**

भूमि अर्जन, पुर्नवासन औंर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औंर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4(6) के अर्न्तगत सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी **(जल संसाधन) वृत झालावाड़** होगे। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्नः– सूची

आज्ञा से,
जि0
(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः 08 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2018 / 2182 - 2185 दिनांकः 21/5/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन संभाग कोटा।
2– निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री / अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
3– अधिशाषी अभियन्ता, चँवली परियोंजना नहर खण्ड, झालावाड़ को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित हैं :–
(क) अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशन (जन सर्म्पक निदेशालय में माध्यम से), सम्बन्धित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, जिला कलेक्टर, तथा उपखण्ड अधिकारी औंर तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
4– भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन) वृत झालावाड़ को प्रेषित कर लेख हैं कि अधिसूचना सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

भूमि अवाप्ति

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

–:: विवरण ::–

कन्स्ट्र0 ऑफ आहु चॅवली लिंक चैनल के बांध निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला झालावाड।

सूची

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	ग्राम पंयाचत	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	कन्स्ट्र0 ऑफ आहु चॅवली लिंक चैनल	नौलाई,	नौलाई, रूपाखेडी	पिडावा	भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत झालावाड
		रमायदलपत	हनौतिया, सांरगाखेडा	पिडावा	

(आर.के. पारीक)
अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत
झालावाड

(डी0 एन0 शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
चॅवली परियोजना नहर खण्ड
झालावाड

फार्म–2

(देखे–नियम–5)

पार्ट–बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः–

(क)	परियोजना विकासकर्त्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता चॅवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	आहु चॅवली सिंचाई परियोजना तहसील पिडावा जिला झालावाड के निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र डेम लाईन की भूमि अवाप्ति परियोजना के अर्न्तगत 25.20 हेक्टेयर भूमि अधिनियम प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण कियामलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक
(ग)	यदि ग्राम सभा और / या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किय जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता चॅवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड

अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत
झालावाड

प्रति हस्ताक्षरित

जितेन्द्र दीक्षित
उप शासन सचिव अधीक्षण अभियन्ता
एवं ग.स.वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
चॅवली परियोजना नहर खण्ड
झालावाड